मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 552/ 652/10/बी–1/चार   भोपाल, दिनांक 29 /03/2012

प्रति,

समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषय – वर्ष 2012–13 के बजट आवंटन की प्रकिया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारियों से बजट आवंटन से संबंधित निम्न कार्यवाहियॉ अपेक्षित हैं ताकि अधीनस्थ आहरण अधिकारियों को समय पर आवंटन उपलब्ध हो सके –

1. वित्तीय वर्ष 2012–13 से अपरिहार्य एवं नियमित प्रकृति के व्यय से संबंधित मदों हेतु बजट की केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था लागू की जा रहीं है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 445/आर 1133/चार/ब–1/09 दिनांक 14 मार्च 2012 एवं संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दिये जा चुके हैं। प्रस्तुतिकरण संचालनालय, कोष एवं लेखा की वेवसाईट www.mptreasury.org पर भी उपलब्ध है।
2. बजट नियंत्रण अधिकारियों (BCO) द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को आयोजना एवं आयोजनेतर मद में किये जाने वाले बजट आवंटन का निर्धारण वित्त विभाग से आवंटन जारी होने के पूर्व ही कर लिया जाये।
3. व्यय/मद की प्रकृति के अनुसार आयोजना बजट का मदवार त्रैमासिक वितरण का निर्धारण कर इसकी प्रविष्टि संचालनालय, कोष एवं लेखा के सर्वर में दिनांक 08/04/2012 के पूर्व करा दी जावे। उक्त तिथि तक बजट का त्रैमासिक वितरण संचालनालय कोष एवं लेखा को प्राप्त न होने की स्थिति में विभाग से संबंधित आयोजना बजट को प्रत्येक त्रैमास में बराबर–बराबर (प्रति त्रैमास 25–25 प्रतिशत) वितरित कर संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा सर्वर में प्रविष्टि कर दी जावेगी।
4. निम्न आयोजनागत मदों पर त्रैमासिक वितरण का प्रतिबंध नही रहेगा। उक्त मदों के अन्तर्गत व्यय हेतु आवंटन पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगा–
   i. उद्देश्य शीर्ष # 11,16,17,18, 19 के अन्तर्गत आने वाली वेतन भतों की समस्त मदें
   ii. 13–पेंशन तथा अनुशंगिक लाभ
   iii. 24–परीक्षा एवं प्रशिक्षण
   iv. 41–छात्रवृत्तियॉ एवं वृत्तियॉ
   v. 53–डिकी धन का भुगतान (भारित)
   vi. योजना शीर्ष 8284–मध्य प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

2...../–

5. वित्तीय वर्ष 2012—13 में वेतन मदों यथा उद्देश्य शीर्ष # 11,16,17,18 तथा 19 के अन्तर्गत उपलब्ध आवंटन की सीमा तक ही आहरण हो सकेगा, अतः केन्द्रीयकृत बजट आवंटन से संबंधित मदों के अन्तर्गत व्यय एवं शेष रहे आवंटन की समीक्षा BCO द्वारा नियमित रूप से की जाकर इस मदों में पर्याप्त आवंटन उपलबध उपलब रखना सुनिश्चित करना होगा।

6. वित्त विभाग ज्ञाप क्रमांक 253/आर 213/चार/ब—1/2012 दिनांक 13/02/2012 द्वारा आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन के अधिकार प्रशासकीय विभाग एवं BCO को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

7. माह मार्च, 2012 में बजट पारित होने की प्रकिया पूर्ण होते ही वित्त विभाग द्वारा आवंटन जारी करते हुए संचालनालय, कोष एवं लेखा के माध्यम से सॉफ्टवेयर/वीपीएन पर उपलब्ध करा दिये जावेगें।

8. विभिन्न परिपत्र एवं राशियों के पुनर्विनियोंजन, आयोजनागत मदों के पुर्नवितरण एवं विभिन्न त्रैमासों में अव्ययित रह गई राशियों को आगामी त्रैमासों /चतुर्थ त्रैमास में पुनर्वितरण अथवा विमुक्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव वित्त विभाग/अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति विभाग को भेजने के लिए निर्धारित प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2012—13 की बजट पुस्तिकाओं में उपलब्ध हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(अजय नाथ) 29.3.2012
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 553/652/2010/बजट—1/चार
भोपाल, दिनांक 29/03/2012

प्रतिलिपि —

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शासन के समस्त विभाग
2. सचिव/महामहिम राज्यपाल महोदय, मध्यप्रदेश/सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर/नियंत्रक, शासकीय मुदण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल/ अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण/अभिलेखागार), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
7. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग